कार्यालय कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर

नीलामी की सूचना

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली कुशीनगर में नौका विहार योजनान्तर्गत निम्नलिखित स्थलों का चयन किया गया है:–

1. रामाभार स्तूपा के पीछे स्थित बुद्धा घाट पर बने शेड के 100 मी0 पूरब एवं 100 मी0 पश्चिम तक (पैडल बोट के संचालन हेतु)।
2. देवरिया रोड पर स्थित पुल के नीचे हिरण्यावती घाट पर बने फ्लैप गेट से पश्चिम तरफ 200 मी0 तक पैडल बोट का संचालन तथा हिरण्यावती घाट से बुद्धा घाट पर बने पुल तक (मोटर बोट के संचालन हेतु)।

नौका विहार योजनान्तर्गत नौकायन (पैडल बोट व मोटर बोट) के सफल संचालन हेतु अनुभवी संस्था/इच्छुक व्यक्तियों द्वारा स्वयं के संसाधनों सहित संचालित करने के लिए नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु दिनॉक–05 अक्टूबर, 2021 से दिनॉक–18 अक्टूबर, 2021 तक पंजीकरण की तिथि नियत की जाती है। पंजीकरण प्राधिकरण कार्यालय में उक्त नियत तिथि में किसी भी कार्य दिवस में कराया जा सकता है। बिना पंजीकरण/नियम एवं शर्तों की जानकारी किये, नीलामी प्रकिया में प्रतिभाग नहीं किया जा सकेगा। नीलामी प्रकिया में प्रतिभाग करने के पूर्व प्रतिभागी द्वारा स्थल (Location) का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।

उक्त नीलामी **दिनॉक–22 अक्टूबर, 2021 को अपरान्ह् 02.00 बजे से** तहसील कसया के सभागार में प्रारम्भ होगी। नीलामी से संबंधित शर्तें व अन्य जानकारी कसाडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा वेबसाईट www.ksadakushinagar.in पर उपलब्ध है। उक्त योजना का संचालन एन0जी0टी0 के निर्णय के अधीन होगा।

(प्रमोद तिवारी)
सचिव–कसाडा,
कुशीनगर।

पत्रॉक–457 /कसाडा–2021–22, दिनॉक– 30 ~~अक्टूबर~~ सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर/अध्यक्ष, महोदय कसाडा–कुशीनगर।
2. जिलाधिकारी, कुशीनगर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कसाडा–कुशीनगर।
3. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/स्पष्ट आवाज, कुशीनगर को इस आशय से कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन आगामी अंक में, न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

सचिव–कसाडा,
कुशीनगर।

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय,

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली कुशीनगर में रामाभार स्तूपा के पीछे बने बुद्धा घाट पर हिरण्यावती नौका विहार योजनान्तर्गत नौकायन का संचालन कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। दिनॉक–07.07.2021 को सम्पन्न हुयी कसाडा बोर्ड की 17वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या–16.04 पर विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से नौका विहार योजना के सफल कियान्वयन हेतु नीलामी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार हिरण्यावती नौका विहार की नीलामी हेतु निम्न स्थलों का चयन किया गया है:–

1. रामाभार स्तूपा के पीछे स्थित बुद्धा घाट पर बने शेड के 100 मी0 पूरब एवं 100 मी0 पश्चिम तक (पैडल बोट के संचालन हेतु)।
2. देवरिया रोड पर स्थित हिरण्यावती घाट पर बने फ्लैप गेट से पश्चिम तरफ 200 मी0 तक पैडल बोट का संचालन तथा हिरण्यावती घाट से बुद्धा घाट पर बने पुल तक (मोटर बोट के संचालन हेतु)।

उपरोक्त स्थलों के नीलामी के निमित्त हिरण्यावती नौका विहार, कुशीनगर के संचालन हेतु नियम व शर्तें निम्नवत् हैं:–

1. नौकायन का संचालन विधि विहित प्रकिया एवं नियमानुसार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति, रजिस्ट्रेशन एवं परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म/व्यक्ति का होगा एवं इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।
2. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता द्वारा किसी परिस्थितिवश अनुबन्ध न कराये जाने की दशा में द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाता को प्रथम/उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी धनराशि पर स्वीकृति हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
3. प्राधिकरण द्वारा हिरण्यावती नौका विहार योजनान्तर्गत नौकायन (Boating) एवं गतिविधियों (Activities) को स्वयं के संसाधनों सहित संचालन करने हेतु स्वीकृति के आधार पर स्थल उपलब्ध कराया जायेगा।
4. आवेदक को नीलामी में भाग लेने के लिए पैडल बोट हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि रू0–10,000/– तथा मोटर बोट हेतु रू0–15,000/– का बैक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जमानत धनराशि के रूप में, जो सचिव कसाडा कुशीनगर के पक्ष में देय होगा, जमा करना होगा। आवेदक के परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार नीलामी में भाग ले सकेगा।
5. नीलामी में असफल आवेदक की जमा पंजीकरण/जमानत धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0–1,000.00 की कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी।
6. पैडल बोट के संचालन हेतु प्रति बोट न्यूनतम किराया प्रतिमाह रू0–20,000/– या टिकट बिक्री का 20 प्रतिशत, जो अधिक हो, देय होगा एवं बिड् की धनराशि रू0–2,000.00 निर्धारित है।
7. मोटर बोट हेतु प्रति बोट न्यूनतम किराया प्रतिमाह रू0–20,000/– या टिकट बिक्री का 20 प्रतिशत, जो अधिक हो, देय होगा एवं बिड् की धनराशि रू0–5,000/– निर्धारित है।
8. बिड की धनराशि अदेय होगी।

9. पैडल बोट एवं मोटर बोट नौकाओं आदि हेतु दरों का निर्धारण स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सहमति से किया जायेगा।
10. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत फर्म/व्यक्ति से किराये की वसूली अनुकूल/प्रतिकूल मौसम के दृष्टिगत किया जायेगा, जो स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को देय होगा। मौसम प्रतिकूल होने की दशा में स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा सचिव, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर सचिव द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।
11. स्थल का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा। उच्चतम बोलीदाता द्वारा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर तीन माह का किराया (प्रति बोट) अग्रिम के रूप में जमा कर नियमानुसार पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराने के पश्चात् कब्जा प्राप्त करना होगा। अनुबन्ध निष्पादित होने वाले समस्त व्यय का दायित्व स्वीकृत फर्म/व्यक्ति का होगा।
12. उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृत होने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में वॉछित धनराशि/किराया विलम्ब से जमा किया जाता है, तो देय धनराशि पर 18 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा, जो अधिकतम् तीन माह तक देय होगा। निरन्तर तीन माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर आवंटन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुशीनगर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
13. उक्त स्वीकृति प्रथमतः दो वर्ष के लिए नीलामी के आधार पर दिया जायेगा, जिसका नवीनीकरण स्वीकृत फर्म/व्यक्ति का कार्य सन्तोषजनक होने पर प्राधिकरण द्वारा पुनः एक वर्ष के लिए निर्धारित किराये की धनराशि पर 10.00 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करते हुए किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा पुनः नीलामी प्रकिया को अपनाया जायेगा।
14. स्वीकृत फर्म/व्यक्ति स्थल का उपयोग केवल अनुबंध में वर्णित प्रयोजन (पैडल बोट व मोटर बोट) के संचालन हेतु करेगा। इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य/प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
15. नौकायन को सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों/परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों के नियोजन का दायित्व भी स्वीकृत फर्म/व्यक्ति का होगा व इस सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्ययों को स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।
16. स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को प्राधिकरण के पास पैडल बोट हेतु जमा जमानत धनराशि रू0–25,000/– तथा मोटर बोट हेतु जमानत धनराशि के रूप में जमा धनराशि रू0–50,000/– पर कोई व्याज देय नहीं होगा। जमानत धनराशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा, जो सचिव, कसाडा कुशीनगर के पक्ष में देय होगा। यदि स्वीकृत फर्म/व्यक्ति पर प्राधिकरण का किसी प्रकार का बकाया है, तो उसका समायोजन जमानत धनराशि से किये जाने हेतु प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।
17. नौकायन योजना स्वयं के संसाधनों सहित संचालित करने हेतु निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को समय–समय पर निरीक्षण

करने का आधिकर होगा और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सचिव एवं उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी/विशेषज्ञ एवं परामर्शी निरीक्षण करने के अधिकारी होंगें तथा संचालन किसी भाग/अंश में निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता अथवा निर्धारित नियम एवं शर्तों के उल्लंघन सम्बन्धी कोई कृत्य पाये जाने की दशा में प्राधिकरण, स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को समुचित निर्देश निर्गत करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

18. प्राधिकरण को योजना के संचालन हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार होगा तथा स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को उक्त निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
19. नौकायन स्थल का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन एवं आवश्यक रख–रखाव, साफ–सफाई आदि की व्यवस्था स्वीकृत फर्म/व्यक्ति की होगी तथा किसी अव्यवस्था, आकस्मिक घटना, दुर्घटना अथवा संयोगवश परियोजना का कोई ग्राहक, लाभार्थी, कर्मचारी अथवा कोई विजिटर क्षतिग्रस्त होता है तथा क्षतिपूर्ति का दावा करता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व स्वीकृत फर्म/व्यक्ति का होगा।
20. स्वीकृत फर्म/व्यक्ति अथवा उसके कर्मचारीगण अतिथियों अथवा पर्यटकों के साथ दुवर्यहार अथवा झगड़ा–फसाद नहीं करेंगें।
21. योजना के संचालन के अतिरिक्त किसी प्रकार अवैध अथवा अनैतिक कृत्य नहीं करेगा और न ही ऐसे अवैध एवं अनैतिक कृत्य किये जाने हेतु किसी को अनुमति या प्रश्रय प्रदान करेगा।
22. प्राधिकरण एवं स्वीकृत फर्म/व्यक्ति के मध्य निष्पादित अनुबन्ध को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को बिना कोई कारण दर्शाये 30 दिन का नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त स्थिति में स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति (Compensation) देय नहीं होगा।
23. स्वीकृति समाप्त होने/निरस्त किये जाने की दशा में फर्म/व्यक्ति का संचालन बन्द करते हुए यदि कोई उपकरण/सामग्री प्राधिकरण से प्राप्त किये हैं, तो उक्त सामग्री को यथास्थिति में प्राधिकरण को वापस करनी होगी।
24. योजना के संचालन हेतु स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा एवं किसी दुर्घटना आदि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु अपने व्यय पर स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा सर्वग्राही इन्श्योरेन्स कराया जायेगा।
25. प्राधिकरण एवं स्वीकृत फर्म/व्यक्ति के मध्य निष्पादित अनुबन्ध में प्राविधानित नियम व शर्तों को स्वीकृत फर्म/व्यक्ति किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित अथवा किरायेदारी (सबलेटिंग) पर देने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में प्राधिकरण को स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा जमा करायी गयी जमानत की धनराशि को जब्त करते हुए निष्पादित किये गये अनुबन्ध को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार होगा।
26. योजना के संचालन में स्थल पर विधि एवं नियमानुसार आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों यथा अग्नि शमन उपकरण, पूर्ण सुसज्जित फर्स्ट ऐड बॉक्स, लाईफ जैकेट्स, प्रशिक्षित

लाईफ सेवर एवं लाईफ गार्ड्स आदि की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व स्वीकृत फर्म/व्यक्ति का होगा। अनुभवी गोताखोर रखना आवश्यक होगा।

27. यदि विकास प्राधिकरण/नगर पालिका परिषद/सिंचाई विभाग/शासन द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को आवंटित स्थल/परिसर के सम्बन्ध में कोई आदेश/निर्देश निर्गत किये जाते हैं या कोई नियम एवं शर्त निर्धारित की जाती है, जिससे आवंटित स्थल प्राभावित हो तो इन नियमों/शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जो स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को मान्य/बाध्य होगी। इस सम्बन्ध में स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का प्रतिकर पाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

28. योजना के संचालन एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों का अनुपालन स्वीकृत फर्म/व्यक्ति को सुनिश्चित करना होगा।

29. शर्तों आदि के सम्बन्ध में विवाद होने पर उप जिलाधिकारी, कसया–कुशीनगर आर्बीट्रेटर होगें तथा अपीलेट आर्बीट्रेटर जिलाधिकारी, कुशीनगर होंगे। अपीलेट आर्बीट्रेटर/जिलाधिकारी, कुशीनगर का निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

30. स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तों का स्वीकृत फर्म/व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अथवा किसी कानून का उल्लंघन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न किये जाने की किये जाने की स्थिति में जमा समस्त जमानत धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर को होगा। ऐसी दशा में फर्म/व्यक्ति को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नहीं होगा।

31. योजना का संचालन एन0जी0टी0 के निर्णय के अधीन होगा।

32. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र कुशीनगर होगा।